

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत
विशेष योग्यजनों की शादी हेतु अनुदान (सहायता)
प्राप्त करने का आवेदन-पत्र

वर वधु की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित फोटो
--

सेवा में,
उप निदेशक/सहायक निदेशक/
समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

.....

विषय :- विशेष योग्यजन विवाह हेतु सहायता (अनुदान) प्राप्त करना।

महोदय,
निवेदन है कि हम

	वर का विवरण	वधु का विवरण
1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. जाति
5. गांव/तहसील
6. आवेदक का आधार नं.
7. आवेदक का भामाशाह कार्ड नं
8. आवेदक का मोबाईल नं
9. आवेदक का बैंक विवरण
बैंक का नाम :
अकाउंट नं :
IFSC कोड :

ने दिनांक को आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लिया है/करने का निश्चय किया है। विवाह तिथि को वर की आयु वर्ष एवं वधु की आयु वर्ष की है।

मैं/हम श्रेणी का विशेष योग्यजन है/हैं, जिसकी पुष्टि में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है। अतः हमें सहायता राशि स्वीकृत करने का श्रम करें।

भवदीय,

वर के हस्ताक्षर

संलग्न :- शादी का कार्ड

विकलांगता प्रमाण-पत्र

वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र

जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र।

वधु के हस्ताक्षर